

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या-पी0आर0 32 / 2021

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2022 में सम्मिलित होने हेतु कक्षा 9^{वाँ} में नियमित कोटि के अध्ययनरत एवं स्वतंत्र कोटि के पंजीयन/अनुमति से वंचित छात्र/छात्राओं के लिए विद्यालय प्रधान के माध्यम से पंजीयन/अनुमति आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने एवं शुल्क जमा करने हेतु अवधि विस्तार के संबंध में आवश्यक सूचना :

एतद् द्वारा समिति की विज्ञप्ति संख्या-पी0आर0 211/2020, 239/2020, 261/2020 एवं 25/2021 के क्रम में माध्यमिक स्तर के मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान, संबंधित छात्र/छात्रा, अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0शि0) एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि आगामी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2022 (सत्र 2021-2022) के लिए राज्य के माध्यमिक स्तर के शिक्षा प्रदान करने वाले सभी कोटि के मान्यता प्राप्त विद्यालयों/+2 विद्यालयों यथा-राजकीय, राजकीयकृत, अल्पसंख्यक, प्रोजेक्ट, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, स्वत्वधारक, प्रस्वीकृत, स्थापना अनुमति, संबद्धता प्राप्त एवं उत्कर्मित माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं कक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत एवं स्वतंत्र कोटि के पंजीयन/अनुमति से वंचित छात्र/छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों के प्रधान द्वारा समिति के वेबसाईट <http://secondary.biharboardonline.com> पर पंजीयन/अनुमति आवेदन ऑनलाईन भरने एवं शुल्क जमा करने हेतु पाँचवीं बार अवधि दिनांक 13.02.2021 से 16.02.2021 तक पुनः विस्तारित की जाती है।

2. यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्धारित अवधि (दिनांक 13.02.2021 से 16.02.2021 तक) पंजीयन/अनुमति से वंचित छात्र/छात्राओं के लिए यह अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। इसके बावजूद कोई छात्र/छात्रा पंजीयन/अनुमति आवेदन से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक एवं विद्यालय प्रधान पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे। अंकनीय है कि पूर्व के निर्धारित अवधियों में यदि किसी छात्र/छात्रा का पंजीयन/अनुमति आवेदन भरा गया है, किन्तु किसी कारणवश निर्धारित शुल्क अभी तक जमा नहीं हुआ है, तो संबंधित विद्यालय के प्रधान द्वारा ऐसे छात्र/छात्राओं का बकाया शुल्क भी ऑनलाईन जमा किया जायेगा।

3. यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान द्वारा ही वैध छात्र/छात्राओं का पंजीयन/अनुमति आवेदन भरा जायेगा एवं निर्धारित शुल्क जमा किया जायेगा। जिन विद्यालयों की मान्यता/संबद्धता रद्द/निलंबित/वापस ले ली गयी है, वैसे विद्यालयों से पंजीयन/अनुमति आवेदन कदापि नहीं भरा जायेगा।

4. विदित हो कि राज्य में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के द्वारा विस्तृत दिशा-निदेश निर्गत किये गये हैं, जिससे सभी शिक्षण संस्थान के प्रधान अवगत हैं। इस परिदृश्य में उपर्युक्त कार्य के दरम्यान सभी विद्यालयों में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए छात्र/छात्रा द्वारा भरे गये पंजीयन/अनुमति की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में काउन्टर लगाये जायें, जिसमें सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कठोरतापूर्वक सुनिश्चित किया जाय। पंजीयन/अनुमति पत्र जमा करने के लिए उपस्थित होने वाले छात्र/छात्राएँ पर्याप्त आपसी दूरी पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर पंक्तिबद्ध रहते हुए फॉर्म जमा करेंगे। हरेक काउन्टर पर सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी। विद्यालय प्रधान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पंजीयन/अनुमति पत्र को जमा कराने के क्रम में अनावश्यक भीड़ न हो तथा उपस्थित छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक यत्र-तत्र न थूकें एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए पूरे अनुशासित तरीके से अपने-अपने पंजीयन/अनुमति को निर्दिष्ट काउन्टरों पर जमा करें।

5. सभी विद्यालय प्रधान, छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक को निदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

6. ऑनलाईन पंजीयन/अनुमति आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर विद्यालय की सहायता हेतु हेल्प लाइन नं0-0612-2232074, 2232257, 2232239, 2230051 एवं 2232227 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा E-mail Id : bsebsehelpdesk@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं।

7. विज्ञप्ति संख्या पी0आर0 25/2021 की अन्य निदेश यथावत रहेंगे।

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक : केन्द्रीय (मा०)-146/2021-22/30/169/पटना, दिनांक : 12/02/2021

- प्रतिलिपि : 1. जन सम्पर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
2. मे० डाटासॉफ्ट कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा० लि० को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त के अनुसार पंजीयन/अनुमति आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा करने हेतु निर्धारित समय तक पोर्टल चालू रखने की सभी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन विद्यालयों की मान्यता/संबद्धता रद्द/निलंबित/वापस लिया जा चुका है, वैसे विद्यालयों से कदापि पंजीयन/अनुमति आवेदन नहीं भरा जा सके, इसके लिए अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
3. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. मुख्य प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद्, बुद्धमार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. उप निदेशक, आई०टी०/सिस्टम एनालिस्ट (माध्यमिक) को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि अपने निगरानी एवं पर्यवेक्षण में उक्त के आलोक में आवश्यक व्यवस्था कराना सुनिश्चित की जाय तथा इसका निरंतर अनुश्रवण किया जाय ताकि किसी प्रकार की त्रुटि एवं विसंगति न हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन विद्यालयों की मान्यता/संबद्धता रद्द/निलंबित/वापस लिया जा चुका है, वैसे विद्यालयों से कदापि पंजीयन/अनुमति आवेदन नहीं भरा जा सके, इसलिए निदेशक (शैक्षणिक) से समन्वय कर ऐसे विद्यालयों की अद्यतन सूची अनिवार्य रूप से प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यह भी अनुरोध है कि छात्र/छात्रा, मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा०शि०), जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी के जानकारी हेतु इस विज्ञप्ति की प्रति समिति के निर्दिष्ट BSEB Mobile App पर डाल दिया जाय ताकि सभी संबंधितों द्वारा अपने स्तर पर इस निमित्त आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
6. निदेशक (शैक्षणिक), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि जिन विद्यालयों की मान्यता/संबद्धता रद्द/निलंबित/वापस लिया जा चुका है एवं वैसे विद्यालयों से छात्र/छात्राओं का माध्यमिक परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए पंजीयन/अनुमति एवं परीक्षा आवेदन कदापि नहीं भरा जाना है, उन विद्यालयों की अद्यतन सूची शीघ्र उप निदेशक, आई०टी० (मा०) को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
7. अध्यक्ष एवं सचिव के आप्त सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी, निदेशक, आई०टी० तथा परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०) को सूचनार्थ प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

12/02/2021